Hindi update on Customs Circular no. 26/2020 dated 29/05/2020

COVID -19 की महामारी के कठिन समय में व्यापारियों को सुविधा देने के लिए सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए है जिससे इन विकट परिस्थितियों में भी TRADERS/EXPORTERS / IMPORTERS को व्यापर करने में कोई प्रकार की असुविधा न हो। इन सभी कदमों का उद्योग जगत की एसोसिएशन ने स्वागत किया है।

इन ही कदमों में से एक महत्वपूर्ण कदम BOND की जगह पर IMPORTER द्वारा अंडरटेकिंग को स्वीकार करना है। हम आपको अपने पहले हिंदी अपडेट संख्या 21H/2020-21 dated 24/04/2020 द्वारा यह बता चुके है कि CBIC को TRADE और INDUSTRIES के कई सारे प्रतिवेदन मिले थे। जिसमे EXPORTERS / IMPORTERS और AUTHORISED CUSTOM BROKERS ने COVID -19 के कारण से हुए LOCKDOWN की वजह से जो समस्यांएं हो रही है उसके बारे में बताया गया था।इस में सबसे प्रमुख समस्या थी कि CUSTOM द्वारा माल की CLEARANCE के लिए कुछ विशेष SITUATION में EXPORTERS / IMPORTERS से BOND की मांग की जाती है और ये BOND को STAMP PAPER पर बनाकर NOTARIZED करवाना होता है। परन्तु COVID -19 की वजह से जो LOCKDOWN हुआ है उस स्तिथि में STAMP PAPER लाना और NOTARY करवाना असंभव था। इस समस्या पर ध्यान देते हुए इसके समाधान हेतु CBIC ने CIRCULAR NO 17 /2020 – Cus दिनाँक 03 -04 -2020 ISSUE किया था। इस CIRCULAR द्वारा EXPORTERS/ IMPORTERS और AUTHORISED CUSTOM BROKERS को इस समस्या से RELIEF देने का निर्णय लिया गया था। ।उपरोक्त CIRCULAR द्वारा BOND देने की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से 30-04-2020 तक हटा दिया था। BOARD ने EXPORTERS /IMPORTERS को BOND के स्थान पर UNDERTAKING देने के लिए कहा था। पहले GOVERNMENT ने तय किया था कि LOCKDOWN 14-04-2020 को समाप्त हो जायेगा। इसीलिए इसमें RELIEF 30 अप्रैल तक दी गई थी। परन्तु COVID -19 के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण GOVERNMETN ने LOCKDOWN की अवधि को बढाकर 03-05-2020 कर दिया। इस कारण BOARD ने भी एक नया CIRCULAR NUMBER 21/2020-Cus दिनाँक 21-04-2020 ISSUE किया और BOND की जगह UNDERTAKING देने की सुविधा को भी 30-04-2020 से बढाकर 15-05-2020 कर दिया है। इसके पश्चात CIRCULAR NUMBER 23/2020 द्वारा इस FACILITY को बढाकर 30-05-2020 तक कर दिया गया।

GOVT. द्वारा ORDER NUMBER 40-3/2020-DM-I(A) dated 17-05-2020 जारी किया गया जिसके द्वारा LOCKDOWN को 18-05-2020 से 2 सप्ताह और बढ़ा दिया

गया है। इस स्थिति को देखते हुए BOARD ने CIRCULAR NO. 26/2020 dated 29/05/2020 से इस सुविधा को भी 15-06-2020 तक और बढ़ा दिया। इस सुविधा को देते हुए यह भी कहा गया था कि EXPORTER/IMPORTER को बाद में अंडरटेकिंग की जगह पर BOND जमा कराना होगा। अब अंडरटेकिंग की जगह पर BOND जमा कराने की अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया गया है IMPORTER द्वारा BOND देने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 होगी।। इस दी गयी छूट की समीक्षा बोर्ड द्वारा लॉकडॉन अवधि के अंत में की जाएगी।

इस सम्बद्ध में हम आपको ये पहले ही सपष्ट कर चुके है की BOND की जगह जो undertaking देनी है वो EXPORTERS / IMPORTERS द्वारा अपने REGISTERED E-MAIL ID द्वारा भी दे सकते हैं। साथ में यह बताना भी जरूरी है कि

UNDERTAKING का फॉर्मेट BOND जैसा ही होना चाहिए तथा जिन स्थानों पर IMPORTER द्वारा BOND के साथ SECURITY भी देना आवश्यक है तो उस केस में सिर्फ UNDERTAKING से काम नहीं चलेगा तथा SECURITY देना आवश्यक होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का हम सभी लोग सराहना करते हैं। सरकार यह जाती है कि उद्योग व व्यापार जगत को लॉक डाउन की स्थिति में कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए वह समय-समय पर नियमों में छूट देकर व्यापार व उद्योग जगत की मदद कर रही है। इस निर्णय का उद्योग व व्यापार जगत की एसोसिएशन को स्वागत करना चाहिए।